[2020] 3 उम. नि. प. 323

शुभेच्छा वेलफेयर सोसाइटी

बनाम

मैसर्स अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.

[2017 की सिविल अपील सं. 9961-9962 के साथ 9959-9960]

14 फरवरी, 2020

न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतनागौडर और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) – धारा 12(1)(क), 12(1)(ख) और धारा 23 – मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगम द्वारा अपने सोसाइटी के कई सदस्यों की ओर से परिवाद फाइल करना – परिवाद खारिज होना – अपील – यदि किसी सोसाइटी की मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगम द्वारा अपने सोसाइटी के कई सदस्यों की ओर से परिवाद फाइल किया जाता है तो वह ग्राह्य होगा और विधि में कायम रखे जाने योग्य होगा और इसे मात्र इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगम मात्र एकल उपभोक्ता की ओर से ही परिवाद फाइल कर सकता है अन्यथा नहीं ।

वर्तमान मामले में, अपीलार्थी-परिवादी एक रजिस्ट्रीकृत वेलफेयर सोसाइटी है । 2016 की उपभोक्ता परिवाद सं. 1196 को परिवादी द्वारा आठ आबंटियों की ओर से फाइल की गई है और 2016 की उपभोक्ता परिवाद सं. 1197 को परिवादी द्वारा 12 आबंटियों की ओर से फाइल की गई है, इन अभिकथनों के साथ कि क्रेताओं ने विभिन्न तारीखों पर विरोधी पक्षकार के साथ यूनिटों को बुक किया था और बड़ी रकम का संदाय करने के बावजूद उन्हें कब्जा प्रदान नहीं किया गया है । पूर्वोक्त परिवाद में विरोध पक्षकार को यह निर्देश देने की ईप्सा की गई है कि वे सभी संबंधित आबंटियों को यूनिटों का कब्जा सौंप दें या वैकल्पिक रूप में उन्हें उसी आकार के अन्य फ्लैट उपलब्ध कराए या जमा रकम को ब्याज और प्रतिकर के साथ वापस करे । अपीलार्थी का पक्षकथन यह है कि परिवादी हरियाणा रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम के अधीन

रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी होने के नाते उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 12(1)(ख) के अधीन आबंटियों की ओर से परिवाद फाइल किया गया है । अपीलार्थी-परिवादी द्वारा फाइल दोनों परिवादों को तारीख 6 दिसम्बर, 2016 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है, इस आधार पर कि मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम, मात्र एकल उपभोक्ता की ओर से ही परिवाद फाइल कर सकता है, किन्तु एक परिवाद में कतिपय उपभोक्ताओं की ओर से परिवाद फाइल नहीं किया जा सकता है । परिवादों के खारिज होने के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किए गए थे जिन्हें भी तारीख 5 जनवरी, 2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था । इनसे व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष अपीलें फाइल की गईं । न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि एनसीडीआरसी द्वारा परिवादों को खारिज करने के लिए समनुदेशित कारण की यह कायम रखे जाने योग्य नहीं है, त्रुटिपूर्ण है क्योंकि स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकृत संगम पर मात्र एकल उपभोक्ता की ओर से परिवाद फाइल करने का कोई निर्बंधन नहीं है । यह निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेश में यथा अभिलिखित निर्बंधन, संगम का रजिस्ट्रीकरण करने के प्रयोजन से ही असफल हो जाता है । विद्वान् काउंसेल ने एनसीडीआरसी द्वारा 2016 की उपभोक्ता परिवाद सं. 816 में पारित आदेश को भी न्यायालय के संज्ञान में लाया है, जिसमें अधिकरण ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि अधिनियम, 1986 की धारा 12(1)(ख) एक से अधिक उपभोक्ताओं की ओर से संयुक्त परिवाद फाइल करने से मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम को अपवर्जित नहीं करती है, यदि माल के विक्रेता या सेवाओं को उपलब्ध कराने वालों, जैसी भी दशा हो, के विरुद्ध एक ही प्रकार की शिकायत है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करने और आक्षेपित आदेश तथा अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य सामग्रियों का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय का यह मत है कि एनसीडीआरसी का यह निष्कर्ष की मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम एकल उपभोक्ता की ओर से परिवाद फाइल कर सकता

है किन्तु एक परिवाद में कई उपभोक्ताओं की ओर से परिवाद फाइल नहीं कर सकता है, त्रुटिपूर्ण है और उसके लिए कोई विधिक आधार नहीं है । अधिनियम, 1986 की धारा 12(1)(ख) के साथ पठित धारा 12 के स्पष्टीकरण का परिशीलन करने से, यह स्पष्ट होता है कि स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकृत संगम, अपनी शिकायतों के समर्थन में अपने सदस्यों की ओर से परिवाद फाइल कर सकता है । अधिनियम, 1986 के पूर्वोक्त उपबंध में ऐसा कुछ नहीं है जो वैयक्तिक परिवादों से संबंधित परिवाद में इसे लागू करने को निर्बंधित करता है । यदि मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम एक समान वाद हेतुक होते हुए कतिपय उपभोक्ताओं के संबंध में कई परिवादों को फाइल नहीं कर सकता है तो इससे सोसाइटी या संगम के रजिस्ट्रीकरण का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप किसी लाभप्रद प्रयोजन को पूर्ण किए बिना कार्यवाहियों की अधिकता ही होगी । पूर्वोक्त कारणों से इन सिविल अपीलों को मंजूर किया जाता है और 2016 की उपभोक्ता परिवाद सं. 1196 और 1197 में पारित तारीख 6 दिसम्बर, 2016 के आक्षेपित सामान्य आदेश और 2016 की पुनरीक्षण आवेदन सं. 312 और 313 में पारित तारीख 5 जनवरी, 2017 के आदेशों को अपास्त किया जाता है । मामले को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली के पास गुणागुणों पर परिवादों पर विचार करने और समुचित आदेशों को पारित करने के निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है । (पैरा 6, 7 और 9)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2016] 2016 की सिविल अपील सं. 10882 :
मैसर्स आम्रपाली सफायर डेवलपर प्रा. लि. बनाम **मैसर्स आम्रपाली सफायर फ्लैट बायर्स वेलफेयर एसोशिएशन** । 6, 8

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2017 की सिविल अपील सं. 9961-9962 के साथ 9959-9960.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अधीन अपील ।

पक्षकारों की ओर से सर्वश्री बसावा प्रभु एस. पाटिल, ज्येष्ठ अधिवक्ता, अश्विनी कुमार, एस. पी. कामराह, (सुश्री) इति शर्मा, (सुश्री) पीहा वर्मा, पुनीत शर्मा, राजेश महालय, शिवेन्द्र द्विवेदी, सईद फैयजान अली, (सुश्री) तेजस्वनी मिश्रा, रचित बत्रा, (सुश्री) सुनीता शर्मा, रोहित वत्स, दया कृषन शर्मा, अनूप कुमार श्रीवास्तव, शिव कुमार गावलकर, आर. एन. पारिक, विपीन कुमार सक्सेना, शैलेश मडियाल, सुधांशु प्रकाश, कार्तिक आनंद, अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी ने दिया ।

न्या. रेड्डी – परिवादी द्वारा इन सिविल अपीलों को 2016 की उपभोक्ता परिवाद सं. 1196 और 1197 में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'एनसीडीआरसी' कहा गया है), नई दिल्ली द्वारा 2016 की पुनरीक्षण आवेदन सं. 312 और 313 में पारित तारीख 6 दिसम्बर, 2016 और तारीख 5 जनवरी, 2017 के आदेश से व्यथित होकर फाइल की गई है ।

2. अपीलार्थी-परिवादी एक रजिस्ट्रीकृत वेलफेयर सोसाइटी है । 2016 की उपभोक्ता परिवाद सं. 1196 को परिवादी द्वारा आठ आबंटियों की ओर से फाइल की गई है और 2016 की उपभोक्ता परिवाद सं. 1197 को परिवादी द्वारा 12 आबंटियों की ओर से फाइल की गई है, इन अभिकथनों के साथ कि क्रेताओं ने विभिन्न तारीखों पर विरोधी पक्षकार के साथ यूनिटों को बुक किया था और बड़ी रकम का संदाय करने के बावजूद उन्हें कब्जा प्रदान नहीं किया गया है । पूर्वोक्त परिवाद में विरोध पक्षकार को यह निर्देश देने की ईप्सा की गई है कि वे सभी संबंधित आबंटियों को यूनिटों का कब्जा सौंप दें या वैकल्पिक रूप में उन्हें उसी आकार के अन्य फ्लैट उपलब्ध कराए या जमा रकम को

ब्याज और प्रतिकर के साथ वापस करे ।

3. अपीलार्थी का पक्षकथन यह है कि परिवादी हरियाणा रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी होने के नाते उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 12(1)(ख) के अधीन आबंटियों की ओर से परिवाद फाइल किया गया है ।

4. अपीलार्थी-परिवादी द्वारा फाइल दोनों परिवादों को तारीख 6 दिसम्बर, 2016 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है, इस आधार पर कि मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम, मात्र एकल उपभोक्ता की ओर से ही परिवाद फाइल कर सकता है, किन्तु एक परिवाद में कतिपय उपभोक्ताओं की ओर से परिवाद फाइल नहीं किया जा सकता है । परिवादों के खारिज होने के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किए गए थे जिन्हें भी तारीख 5 जनवरी, 2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया जो भी चुनौती के अधीन है ।

5. हमने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल अश्विनी कुमार को सुना । नोटिस तामीली के बावजूद, प्रत्यर्थियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

6. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि एनसीडीआरसी द्वारा परिवादों को खारिज करने के लिए समनुदेशित कारण की यह कायम रखे जाने योग्य नहीं है, त्रुटिपूर्ण है क्योंकि स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकृत संगम पर मात्र एकल उपभोक्ता की ओर से परिवाद फाइल करने का कोई निर्बंधन नहीं है । यह निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेश में यथा अभिलिखित निर्बंधन, संगम का रजिस्ट्रीकरण करने के प्रयोजन से ही असफल हो जाता है । विद्वान् काउंसेल ने एनसीडीआरसी द्वारा 2016 की उपभोक्ता परिवाद सं. 816 में पारित आदेश को भी हमारे संज्ञान में लाया है, जिसमें अधिकरण ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि अधिनियम, 1986 की धारा 12(1)(ख) एक से अधिक उपभोक्ताओं की ओर से संयुक्त परिवाद फाइल करने से मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम को अपवर्जित नहीं करती है, यदि माल के

विक्रेता या सेवाओं को उपलब्ध कराने वालों, जैसी भी दशा हो, के विरुद्ध एक ही प्रकार की शिकायत है । आगे, यह निवेदन किया कि उक्त आदेश की इस न्यायालय द्वारा 2016 की सिविल अपील सं. 10882, शीर्षक **मैसर्स आम्रपाली सफायर डेवलपर प्रा. लि.** बनाम **मैसर्स आम्रपाली सफायर फ्लैट बायर्स वेलफेयर एसोशिएशन**[1] जो एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध की गई थी, में पुष्टि करते हुए तारीख 21 फरवरी, 2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था ।

7. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करने और आक्षेपित आदेश तथा अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य सामग्रियों का परिशीलन करने के पश्चात् हमारा यह मत है कि एनसीडीआरसी का यह निष्कर्ष की मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम एकल उपभोक्ता की ओर से परिवाद फाइल कर सकता है किन्तु एक परिवाद में कई उपभोक्ताओं की ओर से परिवाद फाइल नहीं कर सकता है, त्रुटिपूर्ण है और उसके लिए कोई विधिक आधार नहीं है । अधिनियम, 1986 की धारा 12(1)(ख) के साथ पठित धारा 12 के स्पष्टीकरण का परिशीलन करने से, यह स्पष्ट होता है कि स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकृत संगम, अपनी शिकायतों के समर्थन में अपने सदस्यों की ओर से परिवाद फाइल कर सकता है । अधिनियम, 1986 के पूर्वोक्त उपबंध में ऐसा कुछ नहीं है जो वैयक्तिक परिवादों से संबंधित परिवाद में इसे लागू करने को निर्बंधित करता है । यदि मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम एक समान वाद हेतुक होते हुए कतिपय उपभोक्ताओं के संबंध में कई परिवादों को फाइल नहीं कर सकता है तो इससे सोसाइटी या संगम के रजिस्ट्रीकरण का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप किसी लाभप्रद प्रयोजन को पूर्ण किए बिना कार्यवाहियों की अधिकता ही होगी ।

8. हम, एनसीडीआरसी द्वारा **मैसर्स आम्रपाली सफायर फ्लैट बायर्स वेलफेयर एसोशियसन** (उपरोक्त) वाले मामले में पारित 2016 की परिवाद सं. 816 में तारीख 30 अगस्त, 2016 के आदेश में जिसकी पुष्टि इस न्यायालय द्वारा तारीख 21 फरवरी, 2017 के आदेश द्वारा

---

[1] 2016 की सिविल अपील सं. 10882.

2016 की सिविल अपील सं. 10882 को खारिज करते हुए की गई है, अधिनियम, 1986 की धारा 12(1)(ख) के उपबंधों का निर्वचन करते समय अपनाए गए मत से सहमत हैं ।

9. पूर्वोक्त कारणों से इन सिविल अपीलों को मंजूर किया जाता है और 2016 की उपभोक्ता परिवाद सं. 1196 और 1197 में पारित तारीख 6 दिसम्बर, 2016 के आक्षेपित सामान्य आदेश और 2016 की पुनरीक्षण आवेदन सं. 312 और 313 में पारित तारीख 5 जनवरी, 2017 के आदेशों को अपास्त किया जाता है । मामले को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली के पास गुणागुणों पर परिवादों पर विचार करने और समुचित आदेशों को पारित करने के निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है । यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में व्यक्त की गई मताभिव्यक्तियां मात्र इन अपीलों के निपटारे के प्रयोजन के लिए ही हैं जो कायम रखने के आधार पर आरंभ में ही परिवादों को खारिज करते हुए, एनसीडीआरसी के आदेश के विरुद्ध निर्देशित हैं । आयोग के लिए यह खुला है कि वह स्वयं परिवादों के गुणागुणों के आधार पर परिवादों में उद्भूत शिकायत/शिकायतों पर विचार करे ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

क.